

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- अनु.-प्रथम/सी/2023/03

दिनांक: 04.01.2023

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सेवा नियमावली के नियम-56 के प्रावधानानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्नांकित अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष (अवधि दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) पूर्ण करने के फलस्वरूप वर्ष 2023-2024 में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	जन्म दिनांक	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति की दिनांक
1	2	3	4	5	6
<b>वास्तुशाखा (अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग)</b>					
1	श्री शिव नारायण पुत्र श्री किशन लाल, फ़ैरोमेन	वृत्त-सवाईमाधोपुर	10.05.63	09.05.23	31.05.23
2	श्री कमल चन्द बालोदिया पुत्र श्री घनश्याम बालोदिया, वरिष्ठ प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता कार्या0, जयपुर	05.06.63	04.06.23	30.06.23
3	श्री द्वारका लाल परिहार पुत्र श्री प्रभू लाल परिहार, वास्तुविद् सहायक	संभाग-कोटा	07.06.63	06.06.23	31.06.23
4	श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जेट मल शर्मा, अनुरेखक	संभाग-प्रथम, जयपुर	01.07.63	30.06.23	30.06.23
5	श्री रोहिताश्व कुमार वर्मा पुत्र श्री छाजू राम वर्मा, वरिष्ठ प्रारूपकार	नगर खण्ड-बीकानेर	11.07.63	10.07.23	31.07.23
6	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री चिरमोली, अनुरेखक	खण्ड-बस्सी, जयपुर	12.07.63	11.07.23	31.07.23
7	श्री उमेश कुमार गौतम पुत्र श्री कृष्ण दत्त गौतम, अनुरेखक	वृत्त-भरतपुर	22.07.63	21.07.23	31.07.23
8	श्री रमेश पूर्बिया पुत्र श्री अम्बा लाल, कनिष्ठ प्रारूपकार	जिला खण्ड-द्वितीय, उदयपुर	28.07.63	27.07.23	31.07.23
9	श्री नाथू लाल बेनिवाल पुत्र श्री औंकार बेनिवाल, वरिष्ठ प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता कार्या0, जयपुर	11.08.63	10.08.23	31.08.23
10	श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री भुवान, अनुरेखक	मुख्य अभियन्ता कार्या0, जयपुर	22.10.63	21.10.23	31.10.23
11	श्री राजू वर्मा पुत्र श्री मुल्लर प्रसाद वर्मा, फ़ैरोमेन	मुख्य अभियन्ता कार्या0, जयपुर	28.12.63	27.12.23	31.12.23
12	श्री कृष्ण राम जाखड़ पुत्र श्री हेतराम जाखड़, वरिष्ठ प्रारूपकार	वृत्त-गंगानगर	05.02.64	04.02.24	29.02.24
13	श्री कमलेश कुमार दवे पुत्र श्री भगवती लाल दवे, वरिष्ठ प्रारूपकार	संभाग-प्रथम, जोधपुर	20.03.64	19.03.24	31.03.24
14	श्री शंकर लाल रैगर पुत्र श्री रामकरण रैगर, अनुरेखक	मुख्य अभियन्ता कार्या0, जयपुर	01.04.64	31.03.24	31.03.24
<b>वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला प्रवर्तक (अधीनस्थ संवर्ग)</b>					
15	श्रीमति सावित्री शर्मा पत्नि स्व. श्री शशि भूषण शर्मा, लैब ऑपरेटर	केन्द्रीय प्रयोगशाला, मुख्य अभियन्ता कार्या0, जयपुर	30.01.64	29.01.24	31.01.24

31

संबंधित कार्यालय अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित के मामलों में आवंटी की सेवानिवृति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास रिक्त करवायें एवं राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी, बकाया दॉवा, यात्रा भत्ता, वेतन निर्धारण आदि को अन्तिम रूप देते हुए इस कार्यालय को अवगत करावें।

उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवा अभिलेख से उनके नाम व अन्य सेवा विवरण का मिलान करें तथा यदि कोई विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन हो तो इस कार्यालय को अवगत करावें तथा कर्मचारी का पेंशन प्रकरण नियमानुसार तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करें।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच शेष हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरण हो, स्टोर में कमी संबंधी प्रकरण या अन्य प्रकरण हो तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने से पूर्व कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सम्भागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ वृत्त/खण्ड/उपखण्ड स्तर पर कार्यरत अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी जिन्होंने 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु उसका नाम उक्त आदेश में सम्मिलित होने से रह गया हो तो आप तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें ताकि कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जा सके।

  
(संजीव माथुर)


मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव  
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज० जयपुर

क्रमांक:एफ. 44(14)अनु.-प्रथम/सी/2023/प्रे०-25

दिनांक: 04 .01.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राज० जयपुर ।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज० जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सानिवि संभाग-समस्त ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (विद्युत), सानिवि जयपुर/जोधपुर ।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय समस्त ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त-समस्त ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड-समस्त ।
8. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सानिवि राज० जयपुर ।
9. संयुक्त निदेशक, आईटी, सानिवि राज० जयपुर को उक्त आदेश को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
10. श्री .....
11. निजी सचिव, मु.अ. एवं अति. सचिव/अनुभाग-8 (जांच अनुभाग)/मुख्य वास्तुविद् /वित्तीय सलाहकार/संयुक्त विधि परामर्शी, सानिवि, राज० जयपुर ।
12. व्यक्तिगत/रक्षित पत्रावली ।

  
(आरिफ मोहम्मद खान)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक. सहा. प्रथम  
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज० जयपुर

[taceaspwd@rediffmail.com](mailto:taceaspwd@rediffmail.com)